Dr. Guddy Kumari

(Guest lecturer)

History Deptt.

A.N.D. College, Patory(Samastipur)

B.A.(H) Part-I, History

LECTURE -6.

 # मौर्य कालीन प्रशासन

✓✓ मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था को चार भागों में बाटा गया है।

(1) केंद्रीय शासन (2). प्रांतीय शासन (3). नगर शासन (4). ग्राम शासन

@ केंद्रीय शासन –

राजा – राजा केंद्रीय प्रशासन का प्रधान होता था| वह मंत्री परिषद के सहयोग से प्रशासन चलाता था| मंत्रिपरिषद में 12 से 20 तक मंत्री होते थे| प्रत्येक मंत्री को 12000 पण वार्षिक वेतन मिलता था।

चाणक्य ने राज्य के सात अंग – राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग,कोश, सेना और मित्र बताए हैं|

* अमात्य मंडल(तीर्थ) – केंद्रीय शासन सुविधा की दृष्टि से कई भागों में विभक्त था जिन्हें तीर्थ (विभाग) कहा जाता था| प्रत्येक तीर्थ (विभाग) का अध्यक्ष महामात्य (अमात्य) कहलाता था| अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों का उल्लेख है| उदाहरण के लिए

Dr. GUDDY KUMARI (A.N.D COLLEGE)

एक तीर्थ का प्रधान समाहर्ता था जिसका कार्य राज्य का आय व्यय का ब्यौरा रखना था और यह राजस्व भी एकत्रित करता था।

@ प्रांतीय शासन – अशोक के अभिलेखों में पांच प्रांतों का उल्लेख मिलता है –

(I) उदीच्य उत्तरापथ– राजधानी तक्षशिला।

(II) अवनति – राजधानी उज्जयनी।

(III) कलिंग – राजधानी तोसाली।

(IV) दक्षिणापथ – राजधानी सुवर्णगिरि।

(V) प्राच्य – राजधानी पाटलिपुत्र ।

इन प्रांतों में राज्यपाल शासन संभालते थे। जिन्हें कुमार कहा जाता था।

@ नगर शासन–मौर्य कालीन नगर प्रशासन की व्यवस्था अति उत्तम थी। मैगस्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंधक 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभक्त था।प्रत्येक समिति मे 5 सदस्य होते थे।

१.शिल्पकला समिति

२.वैदेशीक समिति

३.जनसंख्या समिति

४.वस्तु निरीक्षक

५.कर समिति।

Dr. GUDDY KUMARI (A.N.D COLLEGE)

@ ग्राम शासन–ग्राम का मुखिया ग्रामिणी कहलाता था। ग्राम में एक प्रशासनिक अधिकारी भोजक होता था।

* मौर्य प्रशासन में राज्य प्रांत में, प्रांत मंडल में, मंगल अहार(जिले) में और जिला ग्राम में विभक्त था।

मौर्य प्रशासन को सुचारु रुप से चलाने के लिए कुछ सहयोगी व्यवस्थाएं भी थी –

* सैन्य व्यवस्था – सेना के 6 विभाग थे।

पैदल सेना, अश्वसेना, हाथी सेना, रथ सेना, नौसेना एवं यातायात विभाग|

मौर्यों के पास एक विशाल सेना थी|

* न्यायालय – सम्राट न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था|

न्यायालय के दो भाग थे –

(१).धर्मस्थीय न्यायालय – यह एक दीवानी न्यायालय था। इनमें राजस्व संबंधी मामले आते थे|

(२). कंटक शोधन न्यायालय – इनमें मारपीट झगड़े वाले फौजदारी मामले आते थे|

* गुप्तचर व्यवस्था – गुप्तचर व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। (१). संस्था – एक स्थान पर रहने वाले गुप्तचर को संस्था कहते थे|

(२). संचारण – साधु अथवा छद्मवेश में घूमने वाले गुप्तचर को संचारण कहते थे|

मौर्य प्रशासन में राजस्व के रुप में भूमि कर उपज का 1/6 या 1/4 होता था।

!!!!!!!!!!धन्यवाद!!!!!!!!!!!!

DR.SUDDY KUMARI (A.N.D COLLEGE)